न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 229/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/308

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोदसिंह पुत्र पन्ने सिंह कौम राजपूत निवासी वरिया भगजी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2. मैनेजर एस.बी. आई. शाखा टापरा जिला बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थिति</u>–

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी
2.विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 28/11/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टेयर भूमि अवस्थित हैं। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर निर्बाध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। सेग्रीगेशन आन लाईन कार्य के दौराने प्रार्थी की विवादित आराजी की मौका स्थिति के विपरीत तरमीम नक्शा ट्रेस में कर दी गई, जो कि प्रार्थी के हितो के साथ कुठराघात हुआ हैं। तथा प्रार्थी का रिकॉर्ड में नाम भी नाम भी दो बार अकंन हो रखा हैं। अतः प्रार्थी का अवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थी के नाम की दो बार इन्द्राज प्रविष्टि को एकल करने एवं मौका कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील–शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश नहीं कर मौका रिपोर्ट पेश की गई तथा विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की वहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वहस में निवेदन किया कि ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित हैं। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि पर निर्वध रूप से कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में रहवासी ढाणी, पानी के टांके व चारो तरफ मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार तारवंदी कर रखी हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि रकवा 100 वीघा अनुरूप ही तरमीम होनी चाहिए थी,लेकिन प्रार्थी को विना सूचित करते हुए एकपक्षीय विवादित आराजी की तरमीम सेग्रीगेशन आन–लाईन कार्य के दौराने गलत तरमीम होने से नक्शा में रकवा कम हो गया। जिसकी आड़ में विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने पर उतारू है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी गई हैं। प्रार्थी का विवादित आराजी के रिकॉर्ड में नाम दो बार दर्ज हैं,जो एकल किया जाना आवश्यक हैं। अतं में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मुताविक प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जावे।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी विवादित आराजी ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी के नाम की दो बार इन्द्राज हो रखा हैं,जो रिकॉर्ड (जमाबंदी) में एकल नाम इन्द्राज करवाने का हकदार हैं। साथ ही विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम नक्शा व प्रस्तावित तरमीम नक्शा अवलोकन करवाने से स्पष्ट साबित होता कि विद्यमान तरमीम मौका कब्जा–काश्त के विपरीत कर रखी हैं। जिसे विप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार पचपदरा ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया हैं, कि विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम मौका कब्जा–काश्त के विपरीत हो रखी हैं,उक्त अशुद्ध तरमीम सेग्रीग्रेशन आन–लाईन कार्य के दौरान हुए हैं, जो कि प्रार्थी के हितो के विपरीत की गई हैं। भूमिधारक द्वारा प्रस्तावित तरमीम परिशिष्ट ब मुताबिक किए जाने की सिफारिश की गई हैं,जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से साबित होता हैं। इसके उपरांत भी न्यायालय हाजा यह उचित समझता है कि प्रकरण मे समग्र जांच उपरांत ही तरमीम दुरूरुती होनी चाहिए,उक्त परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण को तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना विधि–सम्मत प्रतीत होता है,ताकि हितबद्व पक्षकारान के साथ न्याय हो सके। ऐसी सूरत में प्रार्थी अपना आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करवाने का

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हकदार है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भाखरी खेड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 58/8 क्षेत्रफल 16.1874 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में प्रार्थी के नाम की दो इन्द्राज प्रविष्टि के स्थान पर एक ही नाम की प्रविष्टि इन्द्राज करने एवं विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा/सहायक भू अभिलेख एवं पदेन सहायक भू प्रबंध अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी का रि—सेन्टलमेंट सर्वे के दौराने उभय—पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका कब्जा काश्त एवं रेकर्ड स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विवादित आराजी की नियमानुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

28/11/2025
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/11/2025 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

28/11/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा